

इज़राइल-फ़िलिस्तीन संघर्ष

यह एडिटरियल 09/10/2023 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित "ISRAEL'S MOMENT OF RECKONING" लेख पर आधारित है। इसमें हमारा द्वारा हाल ही में इज़राइल पर किये गए हमलों के असर के बारे में चर्चा की गई है और विचार किया गया है कि इन हमलों ने किस प्रकार इज़राइल की सुरक्षा कमज़ोरियों को उजागर कर दिया है।

प्रलम्ब के लिये:

[प्रथम विश्व युद्ध](#), [बालफोर घोषणा](#), [इज़राइल-फ़िलिस्तीन संघर्ष से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल](#), [ओस्लो समझौता](#), [भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा](#), [संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद \(ECOSOC\)](#), [टू स्टेट सॉल्यूशन](#)।

मेन्स के लिये:

भारत के हितों पर देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव, इज़राइल-फ़िलिस्तीन संघर्ष: इतिहास, दोनों देशों की मांगें, भारत पर इसका प्रभाव, इस संदर्भ में भारत का दृष्टिकोण और इज़राइल-फ़िलिस्तीन संघर्ष का समाधान।

7 अक्टूबर 2023 का दिन इज़राइल के लिये एक असामान्य दिन था। सुबह के समय गाजा पट्टी से हमारा द्वारा इज़राइल पर हजारों रॉकेट दागे गए और उसके सैकड़ों उग्रवादी विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए इज़राइल में घुस आए। उन्होंने सीमा के नजिक बसे इज़राइली नागरिकों पर अंधाधुंध गोलीबारी बरसाई और 100 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया। रॉकेटों की बौछार इतनी तीव्र थी कि इनमें से कुछ रॉकेट प्रसिद्ध 'आयरन डोम' को भेदने में सफल रहे और यरुशलम जैसे अंदरूनी हिस्से तक इसके दायरे आ गए।

ऐतिहासिक दृष्टि से 7 अक्टूबर की सुबह को हर दृष्टि से 'वफ़िलता' के रूप में दर्ज किया जाएगा। इससे सुरक्षा की यह इज़राइली अवधारणा ध्वस्त हो गई कि फ़िलिस्तीनी समूह ऐसा युद्ध नहीं छेड़ेंगे जैसे वे जीत न सकें।

इज़राइल-फ़िलिस्तीन संघर्ष का इतिहास:

■ इज़राइल का निर्माण:

- इस संघर्ष की उत्पत्ति 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आरंभ से देखी जा सकती है जब फ़िलिस्तीन में यहूदियों के आप्रवासन की वृद्धि हुई, जिससे यहूदी आगंतुकों और अरब आबादी के बीच तनाव उत्पन्न होने लगा।
- वर्ष 1917 में [प्रथम विश्व युद्ध के दौरान](#) ब्रिटिश सरकार ने [बालफोर घोषणा \(Balfour Declaration\)](#) जारी की थी जिसमें फ़िलिस्तीन में 'यहूदी लोगों के लिये राष्ट्रीय गृह' (national home for the Jewish people) की स्थापना के लिये समर्थन व्यक्त किया गया था।
- [द्वितीय विश्व युद्ध](#) के बाद वर्ष 1947 में [संयुक्त राष्ट्र \(UN\)](#) ने एक विभाजन योजना का प्रस्ताव रखा था जो फ़िलिस्तीन को दो अलग-अलग यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करता, जिसमें यरुशलम को एक अंतरराष्ट्रीय शहर का दर्जा दिया जाता। इस योजना को यहूदी नेताओं ने तो स्वीकार कर लिया था लेकिन अरब नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिससे हिंसा भड़क उठी।
- वर्ष 1948 में [इज़राइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा](#) कर दी जिससे पड़ोसी अरब राज्यों के साथ उसका युद्ध शुरू हो गया। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप हजारों फ़िलिस्तीनियों का वसिस्थापन हुआ, जिसने भविष्य के तनाव की नींव रखी।

■ आरंभिक संबंध और हमारा का उदय:

- इज़राइल-हमारा संघर्ष के वर्तमान स्वरूप के बीज 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध में देखे जा सकते हैं जब पहला इंतफ़ादा (फ़िलिस्तीनी विद्रोह) भड़क उठा था।
- इसी अवधि में एक इस्लामी संगठन 'हमारा' (Hamas) का उदय हुआ। इसने जल्द ही इज़राइली कब्ज़े और फ़िलिस्तीनी राजनीतिक गुट 'फ़तह' के विरुद्ध एक प्रतरोध आंदोलन के रूप में लोकप्रियता हासिल कर ली।
- इज़राइल ने आरंभ में तो 'फ़तह' के लिये एक प्रतसंतुलनकारी शक्ति के रूप में 'हमारा' के अस्तित्व को बर्दाश्त किया, लेकिन जैसे-जैसे हमारा का प्रभाव बढ़ता गया, इज़राइल के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया।

■ ओस्लो समझौता और दूसरा इंतफ़ादा:

- 1990 के दशक के आरंभ में [ओस्लो समझौते \(Oslo Accords\)](#) से [फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण \(Palestinian Authority- PA\)](#) की

स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ और वेस्ट बैंक एवं गाजा पट्टी के कुछ क्षेत्रों से इज़राइल की आंशिक वापसी देखने को मिली।

- हालाँकि आगे यह शांति प्रक्रिया रुक गई, जिससे नरिशा और हिसा का प्रसार हुआ तथा इसकी परिणति दूसरे इंतफ़ादा (2000-2005) के रूप में हुई।
- इस अवधि के दौरान हमस ने इज़राइली नागरिकों के वरिद्ध आत्मघाती बमबारी और रॉकेट हमले तेज़ कर दिए।

■ गाजा पर कब्ज़ा और नाकेबंदी:

- वर्ष 2006 में फलिसितीनी वधायी चुनाव में हमस की जीत हुई, जिससे फतह के प्रभुत्व वाले PA के साथ तनाव बढ़ गया।
- वर्ष 2007 में हमस ने बलपूर्वक गाजा पट्टी पर कब्ज़ा कर लिया, जबकि वेस्ट बैंक पर फतह का नियंत्रण बना रहा।
- इज़राइल ने हथियारों की तस्करी और हमलों को रोकने के लिये गाजा की नाकेबंदी कर रखी है जिसने गाजा के नवासियों के लिये मानवीय चिंताओं और आर्थिक कठिनाइयों को जन्म दिया है।

■ बारंबार संघर्ष और युद्धविराम:

- इज़राइल और हमस के बीच बार-बार गंभीर झड़पों की स्थिति बनी है जिनमें ऑपरेशन कास्ट लीड (2008-2009), ऑपरेशन पलिर ऑफ डफ़ेंस (2012) और ऑपरेशन प्रोटेक्टवि एज (2014) शामिल हैं। इन संघर्षों के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों को भारी क्षति उठानी पड़ी है।
- येरुशलेम में इज़राइली नीतियों (जिनमें शेख ज़र्राह से फलिसितीनी परिवारों की योजनाबद्ध बेदखली और अल-अक़सा मस्जिद परिसर तक पहुँच को प्रतिबंधित करना शामिल था) ने वर्ष 2021 में तनावों को बढ़ाया।
 - हमस ने यरुशलेम और अन्य इजरायली शहरों पर रॉकेट दागे, जबकि इज़राइल ने गाजा पर हवाई हमले किये। इन कार्रवाइयों में 250 से अधिक फलिसितीनी और 12 इज़राइली मारे गए। अमेरिका और अन्य अंतरराष्ट्रीय अभिकर्ताओं के समर्थन से मस्िर द्वारा दोनों पक्षों के बीच युद्धविराम कराया गया।

■ वर्तमान में जारी इज़राइल-हमस संघर्ष:

- वर्तमान में जारी इज़राइल-हमस संघर्ष भूमि, संप्रभुता और सुरक्षा को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से जारी और जटिल विवाद का ही एक अंग है।
- इस संघर्ष का आरंभ 7 अक्टूबर 2023 को हुआ जब हमस ने अचानक इज़राइल पर हमला कर दिया। हमस द्वारा इज़राइली क्षेत्रों पर हज़ारों रॉकेट दागे गए और उसके सशस्त्र उग्रवादी इज़राइल की सीमा में घुस आए।
- इज़राइल ने गाजा पर भारी हवाई हमलों के साथ जवाब दिया है और एक संभावित ज़मीनी आक्रमण के लिये अपने सैनिकों की लामबंदी की है।
- इस संघर्ष के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के सैकड़ों लोग हताहत हुए हैं और गाजा में व्यापक तबाही देखी जा रही है।

इज़राइल-फलिसितीन संघर्ष से जुड़े प्रमुख स्थल

■ अल अक़सा मस्जिद:

- यह इस्लामी आस्था के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है जिसे मुस्लिमि हरम अल-शरीफ (Noble Sanctuary) और यहूदी 'टेम्पल माउंट' के रूप में चिह्नित करते हैं।
- यह स्थल येरुशलेम के पुराने शहर का अंग है जो ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों- तीनों के लिये ही पवित्र है।

■ शेख ज़र्राह:

- शेख ज़र्राह पूर्वी यरुशलेम के पुराने शहर के उत्तरी पड़ोस में स्थित है।
 - वर्ष 1948 में जब ऐतिहासिक फलिसितीनी भूभाग में इज़राइल राज्य की स्थापना की गई तो लाखों फलिसितीनियों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया।
 - उन फलिसितीनी परिवारों में से अट्ठाईस परिवार पूर्वी यरुशलेम के शेख ज़र्राह में जाकर बस गए थे।

■ वेस्ट बैंक:

- वेस्ट बैंक एक स्थलरुद्ध क्षेत्र है। इसमें पश्चिमी मुत् सागर का एक बड़ा भाग भी शामिल है।
- अरब-इज़राइल युद्ध (1948) के बाद इस पर जॉर्डन ने कब्ज़ा कर लिया था लेकिन वर्ष 1967 के छह-दिवसीय युद्ध के दौरान इज़राइल ने इसे वापस छीन लिया और तब से इस पर नियंत्रण रखता है।
- वेस्ट बैंक इज़राइल और जॉर्डन के बीच स्थित है।

■ गाजा पट्टी:

- गाजा पट्टी इज़राइल और मस्िर के बीच स्थित है। इज़राइल ने वर्ष 1967 के बाद इस पट्टी पर कब्ज़ा कर लिया था, लेकिन ओस्लो शांति प्रक्रिया के दौरान गाजा शहर और इसके अधिकांश भूभाग के दैनिक-प्रतिदिन के प्रशासन पर नियंत्रण छोड़ दिया था।
- वर्ष 2005 में इज़राइल ने एकतरफा तरीके से इस भूभाग से यहूदी बस्तियों को हटा लिया, हालाँकि इसने यहाँ तक अंतरराष्ट्रीय पहुँच को न्यंत्रित करना जारी रखा है।

■ गोलन हाइट्स:

- गोलन हाइट्स एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पठार है जिसे इज़राइल ने वर्ष 1967 के युद्ध में सीरिया से जीत लिया था। इज़राइल ने वर्ष 1981 में इस क्षेत्र पर प्रभावी रूप से कब्ज़ा कर लिया।
- वर्ष 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर यरुशलेम और गोलन हाइट्स को इज़राइल के अंग के रूप में मान्यता प्रदान कर दी।

क्या हैं इज़राइल और फलिसितीन की मांगें?

इज़राइल	फलिसितीन
<ul style="list-style-type: none"> • इज़राइल एक राज्य के रूप में अपनी यहूदी पहचान और सुरक्षा को बनाए रखना चाहता है, साथ ही अधिकृत क्षेत्रों पर अपनी 	<ul style="list-style-type: none"> • फलिसितीन वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी यरुशलेम में एक स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य स्थापित करना चाहता है, जिस पर

- बसावट और नयितरण का वसितार भी करना चाहता है।
- इज़राइल चाहता है कि फलिसितीनी उसके असतत्व के अधिकार को चहिनति करे और हसिा का त्याग करे।
- इज़राइल यरुशलम को अपनी अवभाजति राजधानी और उसके पवतिर स्थलों तक अपनी पहुँच बनाए रखना चाहता है।

- वर्ष 1967 से इज़राइल का कब्ज़ा है।
- फलिसितीनी चाहता है कि इज़राइली अपना सैन्य कब्ज़ा एवं नाकाबंदी खतम करे और बसतयिाँ खाली कर दें।
- फलिसितीनी भी चाहता है कि यरुशलम उसकी राजधानी बने और उसके पवतिर स्थलों तक उसकी पहुँच हो।

इज़राइल-फलिसितीनी संघर्ष का भारत पर क्या असर पड़ सकता है?

- व्यापार संबंध: संघर्ष बढ़ने से इज़राइल के साथ भारत के व्यापार पर असर पड़ सकता है, विशेष रूप से रक्षा उपकरण जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में। इज़राइल भारत के लिये रक्षा प्रौद्योगिकी का एक महत्त्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है और इस व्यापार संबंध में कोई भी व्यवधान भारत की रक्षा तैयारियों को प्रभावित कर सकता है।
- कूटनीतिक चुनौतियाँ: भारत ने परंपरागत रूप से इज़राइल और अरब देशों के प्रति अपनी वदिश नीति में एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखा है। यदि संघर्ष बढ़ता है और अन्य अरब देश भी इससे संलग्न होते हैं तो यह भारत के लिये राजनयिक चुनौतियाँ पैदा कर सकता है। इस परदृश्य में इज़राइल के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना और अरब देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना भारत के लिये जटिल सिद्ध हो सकता है।
- मध्य-पूर्व के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंध: भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (India-Middle East-Europe economic corridor) जैसी पहलों के संदर्भ में मध्य-पूर्व के साथ भारत के आर्थिक एवं रणनीतिक संबंध अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो गए हैं। यदि संघर्ष बढ़ता है और इसमें हज़िबुल्लाह और ईरान जैसे अन्य क्षेत्रीय खिलाड़ी भी संलग्न होते हैं तो यह पश्चिम एशियाई क्षेत्र को असुथरि कर सकता है।
 - ऊर्जा आपूर्ति: पश्चिम एशियाई क्षेत्र भारत के लिये ऊर्जा आयात का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है। क्षेत्र की सुथरिता में कोई भी व्यवधान संभावित रूप से भारत की ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है, जिससे आर्थिक चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं।
- भारतीय प्रवासियों के हति: भारत की एक बड़ी प्रवासी आबादी वभिन्न मध्य-पूर्वी देशों में कार्यरत है। यदि संघर्ष बढ़ता है तो इन भारतीय नागरिकों के हति एवं सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न हो सकता है और भारत के लिये उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है।

भारत का रुख:

- भारत नवंबर 1947 में संयुक्त राष्ट्र की वभाजन योजना का वरिध करने वाले कुछ देशों में से एक था, जिसने कुछ माह पहले ही स्वतंत्रता के दौरान अपने स्वयं के अनुभव से यह दृष्टिकोण अपनाया था। इसके बाद के दशकों में भारतीय राजनीतिक नेतृत्व ने सक्रिय रूप से फलिसितीनी मुद्दे का समर्थन किया और इज़राइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंधों से परहेज किया।
- भारत ने वर्ष 1950 में इज़राइल को मान्यता दे दी थी लेकिन वह फलिसितीनी लबिरेशन ऑर्गनाइजेशन (PLO) को फलिसितीनी के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला पहला गैर-अरब देश भी था। भारत वर्ष 1988 में फलिसितीनी के राज्य के दर्जे को मान्यता देने वाले पहले देशों में से भी एक था।
- वर्ष 2014 में भारत ने गाजा में इज़राइल के मानवाधिकार उल्लंघनों की जाँच के लिये UNHRC के प्रस्ताव का समर्थन किया था। इस जाँच का समर्थन करने के बावजूद भारत ने वर्ष 2015 में UNHRC में इज़राइल के वरिध मतदान से परहेज किया।
- 'लकि वेस्ट पॉलिसी' के एक हसिसे के रूप में भारत ने वर्ष 2018 में इज़राइल और फलिसितीनी के साथ अपने संबंधों को अलग-अलग देखने का दृष्टिकोण अपनाया ताकि दोनों देशों से परस्पर स्वतंत्र और वशिषिट संबंध विकसित कर सके।
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) में इज़राइल द्वारा पेश किये गए एक नरिणय के पक्ष में मतदान किया, जिसमें एक फलिसितीनी गैर-सरकारी संगठन को सलाहकार का दर्जा देने पर आपत्ति जताई गई थी।
- अभी तक भारत ने एक ओर फलिसितीनी आत्मनरिणय (Palestinian self-determination) के प्रति अपनी ऐतिहासिक नैतिक समर्थक की छविको बनाए रखने की कोशिश की है, तो दूसरी ओर इज़राइल के साथ सैन्य, आर्थिक एवं अन्य रणनीतिक संबंधों में संलग्न बने रहने का प्रयास किया है।
 - भारत संघर्ष को हल करने के एकमात्र व्यवहार्य साधन के रूप में संवाद एवं कूटनीतिकी वकालत करता है। भारत इज़राइल और फलिसितीनी के बीच शांति वारिता को सुवधाजनक बनाने में अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ एवं संयुक्त राष्ट्र के क्वार्टेट (Quartet) के साथ ही अन्य क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय अभिकर्ताओं की भूमिका का समर्थन करता है।

इज़राइल-फलिसितीनी संघर्ष का क्या समाधान हो सकता है?

- टू स्टेट सॉल्यूशन: टू स्टेट सॉल्यूशन (Two-State Solution) सबसे व्यापक रूप से समर्थित प्रस्तावों में से एक है, जो पारस्परिक रूप से सहमत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इज़राइल के साथ ही एक स्वतंत्र एवं संप्रभु फलिसितीनी राज्य के निर्माण की परकिलपना करता है।
 - टू स्टेट सॉल्यूशन का उद्देश्य संघर्ष के मुख्य मुद्दों—जैसे यरुशलम, शरणार्थी, बसावट, सुरक्षा और जल बँटवारा आदि को संबोधित करना भी है।
 - इसका भारत, अमेरिका, चीन सहित वभिन्न प्रमुख देशों ने समर्थन किया है।
 - हालाँकि, टू स्टेट सॉल्यूशन के समकष कई चुनौतियाँ और बाधाएँ मौजूद हैं, जैसे:
 - शांति के लिये आवश्यक सुलह उपायों एवं रियायतों के प्रति इज़राइल और फलिसितीनी के बीच (और उनके घरेलू जनमत के बीच) राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं भरोसे की कमी।
 - वेस्ट बैंक एवं गाजा पट्टी के बीच और फतह एवं हमास के बीच फलिसितीनी नेतृत्व और क्षेत्र का वभाजन एवं वखंडन।
 - ईरान, तुर्की, मसिर और अमेरिका जैसे बाहरी तत्वों का प्रभाव एवं हसतकषेप, जिनके इस क्षेत्र में अपने हति और एजेंडे हैं।
 - दोनों ओर से हसिा और अतविद की वृद्धि, जो आबादी के बीच घृणा एवं असंतोष को बढ़ाती है और संवाद एवं सह-असतत्व की

संभावनाओं को नष्ट कर देती है।

अन्य समाधान: टू स्टेट सॉल्यूशन इज़रायल-फलिस्तीन संघर्ष का एकमात्र संभावित समाधान नहीं है। ऐसे अन्य विकल्प भी हैं जिन्हें वभिन्न समूहों या व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित या समर्थित किया गया है, जैसे:

o **वन स्टेट सॉल्यूशन:** यह दृष्टिकोण एक एकल, द्वि-राष्ट्रीय राज्य की कल्पना करता है जहाँ इज़राइलियों और फलिस्तीनियों दोनों को समान अधिकार एवं प्रतिनिधित्व प्राप्त हो।

इस समाधान में यह चुनौती मौजूद है कि दोनों समुदायों की चिंताओं को दूर किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पक्ष अधिकारहीन न महसूस करे।

o **कॉन्फेडरेशन मॉडल:** कुछ लोग सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और संसाधनों जैसे क्षेत्रों में साझा संस्थानों एवं सहयोग के साथ दो अलग-अलग राज्यों को एक परसिंध (Confederation) का प्रस्ताव करते हैं। यह मॉडल सहयोग बनाए रखते हुए एक हद तक स्वायत्तता प्रदान कर सकता है।

o **अंतरराष्ट्रीय ट्रस्टीशिप:** इस विकल्प के तहत एक अंतरराष्ट्रीय निकाय या गठबंधन का प्रस्ताव किया जाता है जो उस अवधि तक इस क्षेत्र की देखरेख और शासन कर सकता है जब तक कि अधिक स्थिर एवं पारस्परिक रूप से सहमत समाधान तक नहीं पहुँचा जा सके। इस दृष्टिकोण की पूर्ति के लिये अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सहयोग की आवश्यकता होगी।

अभ्यास प्रश्न: भारत की विदेश नीति पर, विशेष रूप से इज़राइल और अरब देशों के साथ इसके संबंधों के दृष्टिकोण से, इज़राइल-फलिस्तीन संघर्ष के प्रभाव की चर्चा कीजिये।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. कभी-कभी समाचारों में "टू स्टेट सॉल्यूशन" शब्द का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? (2018)

- (a) चीन
- (b) इज़राइल
- (c) इराक
- (d) यमन

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. "भारत के इज़रायल के साथ संबंधों ने हाल ही में एक ऐसी गहराई और विविधता हासिल की है, जिसकी पुनर्वापसी नहीं की जा सकती है।" विविधता कीजिये। (2018)